"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 94] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च 2010—चैत्र 5, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 26 मार्च, 2010 (चैत्र 5, 1932)

क्रमांक-163/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 13 सन् 2010), जो दिनांक 26 मार्च, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 13 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) में और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्द "सात हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 3 का संशोधन. 3. (एक) धारा 3 की उप-धारा (2) में शब्द "पांच हजार" के स्थान पर शब्द "आठ हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) धारा 3 की उप-धारा (3) में शब्द "सात सौ सड़सठ" के स्थान पर शब्द "एक हजार एक सौ दस" और शब्द "सात सौ पचास" के स्थान पर शब्द "एक हजार नब्बे" प्रतिस्थापित किया जाये.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को प्रदत्त सुविधाओं में कुछ सुधार की आवश्यकता है. अत: छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) में संशोधन प्रस्तावित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

तारीख 25 मार्च, 2010

बृजमोहन अग्रवाल
संसदीय कार्य मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 2 एवं 3 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप **राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानित रुपये 4,50,000.00** (रुपये चार लाख पचास हजार) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) की धारा 2, धारा 3 (2) एवं 3 (3) का सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 2 अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को "एक हजार पांच सौ रुपये" प्रतिमास वेतन दिया जायेगा.

धारा 3 (2) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को रुपये "पांच हजार" प्रतिमास निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जायेगा.

धारा 3 (3) अध्यक्ष को उसकी पदावधि के दौरान "सात सौ सड़सठ" रुपये तथा उपाध्यक्ष को उसकी पदावधि के दौरान "सात सौ पचास" रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.